न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
13 / 2014 / प्रा.पत्र / 2014	11.09.2014	12.08.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री आत्मा राम साहू पुत्र श्री भंवर लाल साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स राज टिफिन सेन्टर मातृ कुंज मेरिज गार्डन के पास श्याम नगर टोक जिला टोंक निवासी वार्ड नं0 4 मातृ कुंज मेरिज गार्डन के पास श्याम नगर टोंक

2– मैसर्स राज टिफिन सेन्टर मातृ कुंज मेरिज गार्डन के पास श्याम नगर टोक जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–**निर्णय**–: दिनांक 12.08.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.06.2014 को समय 12.02 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स राज टिफिन सेन्टर मातृ कुंज मेरिज गार्डन के पास श्याम नगर टोक जिला टोंक पर पहुंचा। विकेता की हैसियत से आत्मा राम साहू पुत्र श्री भंवर लाल साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स राज टिफिन सेन्टर मातृ कुंज मेरिज गार्डन के पास श्याम नगर टोक जिला टोंक निवासी वार्ड नं0 4 मातृ कुंज मेरिज गार्डन के पास श्याम नगर टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु टिफिन सेन्टर मे घी रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विकता श्री आत्माराम साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता आत्माराम साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

1219

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा टिफिन सेन्टर मे स्टील की चरी मे लगभग 5–6 लीटर घी रखे हुये मे से 800 ग्राम एक साफ सूखे एंव खाली स्टील जग मे तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रता. श्री आत्माराम साहू को रू0 280/–अक्षरे दौ सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा घी 800 ग्राम जो कि स्टील जग मे क्रय किया को प्रत्येक कॉच के जार मे बराबर–बराबर 200–200 ग्राम भरा एंव प्रत्येक कॉच के जार को एयरटाइट ढक्कन बंद किया एंव नियमानुसार चार भाग कर तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–745 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–745 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. आत्माराम साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2014/2052 दिनांक 11.07.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक,खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/261/एक्ट/2014/271 दिनांक 26.05.2014 अनुसार आत्माराम साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया घी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का घी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण [illegible] जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अभिभाषक अप्रार्थीगण [illegible] प्रस्तुत जवाब का अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

किया गया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी** का नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री आत्मा राम साहू पुत्र श्री भंवर लाल साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स राज टिफिन सेन्टर मातृ कुंज मेरिज गार्डन के पास श्याम नगर टोक जिला टोंक निवासी वार्ड नं0 4 मातृ कुंज मेरिज गार्डन के पास श्याम नगर टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 12.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

12.8.21

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner